**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 5434**

**03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**औद्योगिक कामगारों के लिए किराए पर आवास**

**†5434. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक कामगारों के लिए किराए पर डोरमेट्री की तरह आवास योजना कार्यान्वित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है और विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक संकुलों सहित औद्योगिक संकुलों में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उक्त योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी विनियामक बाधाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 'लो फ्लोर एरिया रेशियो' (एफएआर) और 'ग्राउंड कवरेज रेशियों' (जीसीआर) के कारण सीमित रही है, जो क्षैतिज और उर्ध्वाधर विस्तार दोनों को सीमित करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन विनियामक बाधाओं को दूर करने और उक्त योजना में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार का औद्योगिक नियोजना में कामगारों के आवास को शामिल करने के लिए किसी नीति और विनियामक सुधारों को कार्यान्वित करने का विचार है, जैसा कि नीति आयोग ने कहा था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीब व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश सहित देश में सिंगल/ डबल यूनिट या डॉर्मिटरी बेड के माध्यम से उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराये के आवास परिसर (एआरएचसी) शुरू किए हैं। इस योजना को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

**i.** मॉडल-**1:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा।

ii मॉडल-**2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी के निर्माण, संचालन और रखरखाव द्वारा।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ कम आय वर्ग (एलआएईजी) के शहरी प्रवासी/ गरीब व्यक्ति एआरएचसी के लाभार्थी हैं। एआरएचसी के लाभार्थी शहरी प्रवासी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के गरीब लोग हैं। इनमें मज़दूर, शहरी गरीब (पथ विक्रेताओं, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक कामगार, और बाज़ार/व्यापार संघों, शैक्षणिक/स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र या ऐसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति के साथ काम करने वाले प्रवासी शामिल हैं।

अभी तक आंध्र प्रदेश सरकार से एआरएचसी के तहत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्रालय द्वारा देश में मॉडल-2 के तहत स्वीकृत प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के विवरण के साथ-साथ दोनों मॉडलों के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

इस योजना में मॉडल-2 में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को किराये के आवास क्षेत्र में निवेश करने और सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों/प्रोत्साहनों के माध्यम से एआरएचसी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमिटरी-टाइप के आवास के साथ किराये के आवास की घोषणा की है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में  प्रमुख उघोगों से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता और प्रतिबद्धता के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए, 2025-26 के बजट में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीखते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि पात्र लाभार्थियों द्वारा चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। इस योजना के दिशानिर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf** पर उपलब्ध हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य किफायती किराये के आवास स्टॉक बनाने के लिए निवेश का लाभ उठाने हेतु  सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिसमें वे औद्योगिक कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अपना आवास नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता है। पीएमएवाईयू 2.0 की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक/निजी संस्थाएँ पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए सिंगल/डबल बेडरूम यूनिट या डॉरमेट्री बेड वाली एआरएच परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं।

*****

दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5434 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

**क. योजना के मॉडल-1 के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| क्र. सं. | राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम | शहर का नाम | एआरएचसी में परिवर्तित खाली पड़े आवासों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 2,195 |
| 2 | गुजरात | सूरत | 393 |
| 3 | | अहमदाबाद | 1,376 |
| 4 | | राजकोट | 698 |
| 5 | राजस्थान | चित्तौडगढ़ | 480 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | 336 |
| 7 | उत्तराखंड | लालकुआं | 100 |
| 8 | | देहरादून | 70 |
| **कुल** | | | **5,648** |

**ख. योजना के मॉजल-2 के अंतर्गत सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी इकाइयों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण**

| क्र.सं. | नाम | | संस्था का नाम | कुल इकाइयां | पूरा किया गया निर्माण कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य | शहर | | | |
| 1 | तमिलनाडु | श्रीपेरंबदूर | एसपीआर सिटी एस्टेट प्राइवेट लिमिटे | 18,112 | 6,160 |
| 2 | | श्रीपेरंबदूर | एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रइवेट लिमिटेड | 3,969 | 3,969 |
| 3 | | होसुर | टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड | 13,500 | 6,576 |
| 4 | | चेन्नई | स्टेट इंडस्टीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन | 18,720 | 18,720 |
| 5 | | चेन्नई | चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड | 1,040 | - |
| 6 | | चेन्नई | एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड | 5,045 | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2,222 | - |
| 8 | असम | कामपुर टाउन | गुवाहटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2,222 | - |
| 9 | उत्तर प्रदेश | प्रयागराज | इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 1,112 | - |
| 10 | गुजरात | सूरत | मितसुमी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड | 453 | - |
| 11 | तेलंगाना | निजामपेट | सिवानी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड | 14,490 | - |
| 12 | आंध्रप्रदेश | काकीनाडा | कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | 736 | - |
| 13 | | विज़ियानगरम | कोस्टल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड | 652 | - |
| **कुल** | | | | **82,273** | **35,425** |

*****